IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.4( )पट्टा आवं/विधि/पंरा/2017/266 जयपुर,दिनांकः05-4-2017

1. ज़िला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद,
   समस्त, राजस्थान ।

विषय :– दिनांक 14 अप्रैल 2017 से 12 जुलाई 2017 (90 दिवस) की अवधि में पट्टा/भू–खण्ड आवंटन अभियान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में 14 अप्रैल, 2017 डा0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती से 12 जुलाई, 2017 तक 90 दिवस का एक विशेष अभियान चलाया जाकर, पंचायतों के पट्टाहीन पात्र व्यक्तियों को आबादी भूमि के पट्टे एवं भू–खण्ड आवंटित किये जायेंगे ।

इस अभियान के सम्बन्ध में प्रारम्भिक तौर पर दिशा–निर्देश विभागीय पत्रांक एफ. 4(54)पट्टा अभि/विधि/पंरा/2017/253 जयपुर, दिनांक 28.03.2017 के द्वारा पूर्व में समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भिजवाये जा चुके हैं । उपरोक्त अभियान दिनांक 14 अप्रैल, 2017 (शुकवार) को प्रत्येक पंचायत समिति की चयनित एक ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित कर आरम्भ किया जायेगा तथा इस दिवस के पश्चात आगामी सप्ताह से प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को प्रत्येक पंचायत समिति की एक ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किये जायेंगे, सोमवार अथवा गुरूवार को राजपत्रित अवकाश होने की स्थिति में शिविर अगले कार्यदिवस को आयोजित किये जायेंगे । इस प्रकार से अभियान अवधि में उक्त दिवसों में एक–एक ग्राम पंचायत पर शिविर आयोजित किये जायेंगे । कतिपय पंचायत समितियों में यह स्थिति भी हो सकती है कि उपरोक्त दिवसों में केवल

एक शिविर आयोजित करने से उक्त अभियान अवधि में वहां की समस्त ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित नहीं हो पायें । अतः ऐसी स्थिति में सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी से चर्चा उपरान्त कुछ दिवसों में दो–दो शिविर भी आयोजित करना सुनिश्चित कर लें । इस प्रकार से निर्धारित शिविरों का पंचायत समितिवार कलेण्डर सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ही तय किया जाकर, यह कलेण्डर आवश्यक रूप से तीन दिवस की अवधि में पंचायती राज विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

उक्तानुसार निर्धारित किये गये शिविरों के आयोजन का व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हो सकें ।

इस अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान में ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टा आवंटन में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को दूर किया जाये, ताकि अभियान के दौरान पट्टे आवंटित करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े । अतः आपसे अनुरोध है कि आप अविलम्ब निम्नानुसार बिन्दुओं में वर्णित निर्देशों की पालना हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें:–

1. इस अभियान का अविलम्ब प्रचार–प्रसार कर, आमजन से वांछित आवेदन–पत्र आदि शिविर आरम्भ होने की तिथि से पूर्व ही प्राप्त कर, उनके निस्तारण हेतु की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही इस प्रकार से सम्पन्न करना सुनिश्चित करें कि शिविर आयोजन के दिन सम्बन्धित व्यक्ति को पट्टा वितरित किया जा सके ।

2. ग्राम पंचायत में उपलब्ध गैर मुमकिन आबादी भूमि का इन्द्राज संबंधित ग्राम पंचायत के नाम दर्ज किया जाये । जिला कलेक्टर से यह भी अपेक्षा है कि जिन ग्राम पंचायतों के पास आवंटन हेतु आबादी भूमि उपलब्ध नहीं है उन ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध सिवाय चक, राज्य सरकार के स्वामित्व की अन्य उपयोग की भूमि को आबादी उपयोगार्थ परिवर्तित करते हुए आवंटन हेतु ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई जाये । जिन पंचायत क्षेत्रों में राजकीय भूमि के रूप में केवल चारागाह भूमि ही उपलब्ध है, वहां पर आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत के प्रस्तावानुसार भूमि को आबादी भूमि में रूपान्तरित कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई जाये ।

3. जहां ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि उपलब्ध नहीं होने अथवा इसकी और आवश्यकता होने की स्थिति में भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव पारित कर, ज़िला कलेक्टर के यहां प्रस्ताव भिजवाये हुए हैं, ऐसे समस्त प्रकरणों की सूची संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी एकत्र कर, व्यक्तिशः ज़िला कलेक्टर के ध्यान में लाते हुए अविलम्ब भूमि आवंटन की कार्यवाही करवायें तथा यह सूची पंचायती राज विभाग को भी विवरण सहित भिजवाने की व्यवस्था करायें ।

4. सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अधिकांश ग्राम पंचायतों को स्वयं के क्षेत्राधिकार की आबादी भूमि का सीमा ज्ञान नहीं है, इस कारण उन्हें आबादी भूमि के पट्टे आवंटन करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है । अतः ज़िला कलेक्टर अविलम्ब इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ तहसीलदार एवं पटवारियों को पाबंद करें कि एक सप्ताह की अवधि में उनके ज़िलों की समस्त ग्राम पंचायतों को उनकी आबादी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाये ।

5. आपसे यह भी अनुरोध है कि व्यक्तिगत दानदाताओं एवं व्यवसायिक घरानों/कम्पनियों को सामुदायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत निजी भूमि सार्वजनिक उपयोगार्थ/आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को दान दिये जाने के लिए सम्बन्धित को प्रेरित किये जाने का प्रयास करें तथा इस प्रकार से दान में प्राप्त हुई भूमियां राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस प्रकार से प्राप्त भूमि पर पंचायत द्वारा पात्र व्यक्तियों को पट्टा जारी किया जा सकेगा ।

6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायतों को आवंटित एवं सीमाज्ञान करवाई गई पंचायत के क्षेत्राधिकार की भूमियों का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 137 में निर्धारित स्थावर संपत्तियों के रजिस्टर में आवश्यक रूप से इन्द्राज किया जाये तथा ऐसी संपत्तियों की वर्तमान स्थिति का विवरण दर्ज किया जाये ।

7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी से यह भी अपेक्षा है कि पंचायत भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाये जाने हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कर, पंचायत भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाये ।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टरों से यह अपेक्षा है कि इस हेतु आवश्यक प्रशासनिक मदद सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाये ।

8. राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि के अंतरण किये जाने के प्रावधान हैं । अतः जहां पंचायत में इस तरह के अतिचार (trespass) के प्रकरण हों, वहां इस नियम के तहत उन्हें नियमित कर पट्टें आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है ।

9. विभाग के ध्यान में यह भी लाया गया है कि पुराने गृहों के विनियमितकरण एवं कमज़ोर वर्ग को भूमियों के आवंटन हेतु पट्टे जारी करने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है । अतः इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितकरण एवं नियम 158 के अन्तर्गत आवंटन एवं पट्टा जारी किये जाने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प पारित किया जाकर आवंटन/पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है। नियम 157 एवं 158 के तहत आवंटन व पट्टा जारी करने के लिए, नियम 145 से 156 में वर्णित प्रक्रियात्मक प्रावधान जो कि नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने संबंधी प्रावधान हैं, की पालना किया जाना अपेक्षित/आवश्यक नहीं है । अतः नियम 157 एवं 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प पारित कर संबंधित पात्र व्यक्तियों को पट्टे आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करवाई जाये ।

10. यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 149 में आक्षेपों के निपटारे हेतु पंचायत द्वारा संबंधित पक्षों की सुनवाई कर युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात निपटारा करने का प्रावधान है । इस प्रक्रिया में संबंधित पक्षों को अधिकतम 7 दिवस का अवसर देकर, प्रकरण का निपटारा यथासंभव 15 दिवस में किया जाना सुनिश्चित करें ।

11. नगरीय कब्जा सीमा/परिधीय क्षेत्र(Urbanisable limits/peripheral area) में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के गांव में सार्वजनिक उपयोग, सरकारी विभागों एवं आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटन करवाये जाने सम्बन्धी आदेश पृथक् से नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी किये जा रहे हैं ।

12. अक्सर यह पाया गया है कि गांवों में निर्मित मकानों के नम्बर नहीं होते हैं। अतः यह भी प्रयास किया जाये कि जहां तक सम्भव हो सके पंचायत द्वारा आबादी भूमि में बसे मकानों का नम्बर अंकन करवाया जाकर, आबादी भूमि का रिकॉर्ड मकान नम्बर के हिसाब से बनाया जाये ।

13. इस अभियान के लिए पंचायत समिति स्तर पर प्रभारी संबंधित विकास अधिकारी होंगे । एक दिवस में एक से अधिक शिविर होने की स्थिति में अन्य शिविर हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किसी सक्षम अधिकारी को प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा ।

14. शिविर के दौरान प्राप्त होने वाले प्रकरणों में कुछ प्रकरण ऐसे भी हो सकते हैं जिनका निस्तारण करने के लिए ग्राम पंचायत को उच्च स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत हो । ऐसे प्रकरणों को ग्राम सेवक द्वारा सूचीबद्ध कर सम्बन्धित विकास अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे तथा विकास अधिकारी द्वारा सक्षम स्तर से वांछित मार्गदर्शन प्राप्त कर, प्रकरणों का निस्तारण करवाया जायेगा ।

15. शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निस्तारण उसी दिन किया जायेगा और यदि आवेदनों की संख्या अधिक हो तो निस्तारण की प्रक्रिया शिविर के अगले दिवस तक आरम्भ रखी जाकर, प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जायेगा ।

इस अभियान की प्रगति की मॉनीटरिंग विभागीय मुख्यालय पर श्री सुरेश चन्द गुप्ता (मो0नं0 9414337735/9602800777) संयुक्त निदेशक (मॉनीटरिंग) द्वारा की जायेगी । प्रगति की रिपोर्ट हेतु निर्धारित प्रपत्र पृथक् से भिजवाये जा रहे है ।

राज्य सरकार द्वारा इस अभियान को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए विभागीय मुख्यालय पर एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया गया है । इस अभियान से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण/मार्गदर्शन हेतु प्रकोष्ठ प्रभारी श्री बी0डी0 कृपलानी (मो0नं0 9414251727) से सम्पर्क किया जा सकता है ।

( आनन्द कुमार )
शासन सचिव एवं आयुक्त